<u>सूचना</u>

प्रयाग विधि महाविद्यालय के समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिन छात्रों ने महाविद्यालय मे छात्रवृत्ति का फार्म 31 दिसम्बर 2024 तक जमा किया है वह सभी छात्र-छात्रा अपने **पिता-माता या अभिवावक** का **आय प्रमाणपत्र** 12 जनवरी 2024 तक बनवाकर रख लें।

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक स्वयं संशोधन कराकर महाविद्यालय में जमा करना होगा संशोधन तिथि की सूचना महाविद्यालय की बेवसाइट पर दी जायेगी।

नोट:-

1. संशोधित छात्रवृत्ति का फार्म छात्र द्वारा ही जमा किया जाएगा ।
2. छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 75% कक्षा की उपस्थिति अनिवार्य है।

Dr Nagendra K sharma

प्राचार्य
प्रयाग विधि महाविद्यालय
मवैया नैनी, प्रयागराज

ई–मेल/शीर्ष प्राथमिकता

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश

पत्रांक– C-3735 /स0क0/शिक्षा–3/9/602–2/2024–25

लखनऊः दिनांकः 27 दिसम्बर, 2024

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2024–25 में छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण–पत्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्कुटनी के उपरांत पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत करेक्ट डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा आपकी लागिन पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से निर्णयार्थ भेजा गया है। विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय डाटा के अन्तर्गत छात्रों ने अपने पिता के स्थान पर स्वंय के नाम से निर्गत आय प्रमाण–पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन में किया गया है। आप अवगत हैं कि गत वर्ष 2023–24 में ऐसे प्रकरणों में डाटा रिजेक्ट करने तथा पिता के नाम से निर्गत आय प्रमाण–पत्र का प्रयोग करने के निर्देश दिये गये थे। चालू वित्तीय वर्ष में भी छात्रों ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण–पत्र का प्रयोग किया है, जो नियमानुसार नहीं है।

ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण–पत्र को प्रयोग किया है, उन आवेदन पत्रों को यह कारण कि **"छात्र द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण–पत्र का प्रयोग किया है"** का टंकण कराते हुए समिति के स्तर से निरस्त किया जाना है। ऐसे छात्रों को समय–सारिणी में छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता–पिता/अभिभावक अथवा पति (जैसा लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाण–पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जायेगा। ऐसे सभी छात्रों को संस्थाओं के माध्यम से आप द्वारा यह सूचित कर दिया जाय कि वे सभी पिता के नाम से आय प्रमाण–पत्र जारी करा लें तथा करेक्शन की अवधि में पिता के नाम का आय प्रमाण–पत्र का प्रयोग आनलाइन आवेदन में करें।

अतः उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(कुमार प्रशान्त)
प्र. निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक